फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती मांगी बाई — बनाम — विपक्षी : श्रीमती अयोध्या व अन्य

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम — पत्रावली संख्या : 09/23

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 04.03.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीया व विपक्षीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। प्रार्थीया व विपक्षीगण के मध्य हिस्से अनुसार कानूनी रूप से बंटवाडा नहीं हुआ है। प्रार्थीया अपने हिस्से, कब्जे अनुसार काबिज होकर काश्त कर रही हैं। यह कि विपक्षी संख्या 5 अपने पति मांगीलाल के साथ मिल कर आये दिन प्रार्थीया के हिस्से, कब्जे की भूमि में जबरन अवैध रूप से हस्तक्षेप करने व विवाद करने पर उतारू हैं जिससे प्रार्थीया द्वारा विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि हैं जिसका कानूनी रूप से विभाजन नहीं हुआ है प्रार्थीया द्वारा कथन कहा कि विपक्षी संख्या 5 प्रार्थीया को जबरन बेदखल करने पर आमादा है जिससे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीया खातेदार है जिससे प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीया का हक हिस्सा निहित हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुंविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किये जाने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा वरणी पटवार हल्का वरणी तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2078–81 की परिशिष्ट (क) की खाता संख्या नया 380 की आराजी नम्बर 3090, 3094, 3095, 3096 किता 4 रकबा 2.2700 है. भूमि व परिशिष्ट (ख) की खाता संख्या नया 333 की आराजी न. 3092, 393 कुल किता 2 रकबा 0.5000 है. भूमि है. भूमि में विपक्षी मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:18:20 IST
Reason: SelfAttested